न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2025/81
मुकदमा नम्बर 19/2025 दर्ज दिनांक– 25.02.2025

जितेन्द्र सिंह उर्फ अजीत सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति दरोगा निवासी डुण्डलोद ,तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री महेश नारनोलिया
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: निर्णय दिनांक 13.05.2025

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम डुण्डलोद पटवार हल्का डुण्डलोद की सरहद में भूमि खाता सं.नया 280 पुराना 135 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 546 रकबा 0.3000 है0,खसरा नं. 549 रकबा 1.86 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.16 है0 के राजस्व रिकार्ड में आवेदक का नाम जितेन्द्र सिंह के स्थान पर अजीत सिंह पुत्र रामसिंह दुरूस्त कर दर्ज किया जावे।

प्रा. पत्र बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक की जारी की गई। अनावेदक की और से पैरो. राज. उपस्थित हो तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2025/7573 दिनांक 9.05.2025 पेश की गई। रिपोर्ट के संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार मजमे आम में पुछताछ करने पर जितेन्द्र सिंह व अजीत सिंह दोनो एक ही व्यक्ति होना पाया गया है।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

आवेदक द्वारा प्रा. पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र, दस्तावेजो तथा तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट के अनुसार आवेदक का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम डुण्डलोद पटवार हल्का डुण्डलोद की सरहद में भूमि खाता सं.नया 280 पुराना 135 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं.

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

546 रकबा 0.3000 है0,खसरा नं. 549 रकबा 1.86 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.16 है0 के राजस्व रिकार्ड में आवेदक का नाम जितेन्द्र सिंह के स्थान पर अजीत सिंह पुत्र रामसिंह दुरूस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 13.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला झुंझुनू
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)